न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 11/13

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

1. महाराज सिंह पुत्र श्री रामदयाल जाति ब्राम्हण निवासी मांगरोल धौलपुर। -- फोत
2. वासदेव पुत्र महाराज सिंह । जाति ब्राम्हण निवासी
3. रामदेव । पुत्रगण । मांगरोल
4. योगेन्द्र । रामनिवास ।
5. आईडिया टावर कम्पनी।

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

निर्णय दिनांक – 01.06.18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2408 रकवा 16 विश्वा किस्म चा0 अ0 बाके ग्राम मांगरोल तहसील धौलपुर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 2408 रकवा 16 विश्वा ग्राम मांगरोल पर आईडिया कम्पनी का टावर स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत मांगरोल में पेश हुयी। पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थी के द्वारा नकल जमावन्दी सम्वत् 2070–73 ग्राम

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

मांगरोल की नकल पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी महाराज सिंह की मृत्यु हो गयी है। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 उसके वारिसान है जो विरासतन वर्तमान रिकार्ड में खातेदार दर्ज हैं। अप्रार्थी ने बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में आईडिया टावर स्थापित कर अकृषि कार्य किया जा चुका है। अप्रार्थी को सूचना के बावजूद भी वह रूपान्तरण नहीं करा रहे हैं। अतः भूमि को आरटीए की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जावें। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह रूपान्तरण कराने को तैयार हैं। प्रार्थीगण से जानकारी करने पर उनके द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करना बताया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2070–73 ग्राम मांगरोल के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2408 रकवा 16 विश्वा पर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार इस आराजी में बिना सक्षम स्वीकृति के आईयिा कम्पनी का टावर स्थापित कर लिया है। अप्रार्थी के द्वारा अभी तक भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन नहीं करना बताया गया। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र तारीखी 10.7.15 के अनुसार प्रार्थी ने रूपान्तरण कराने को समय चाहा था लेकिन लगभग तीन वर्ष का समय निकल जाने के बाद भी अभी तक रूपान्तरण कराये जाने बावत कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2408 रकवा 16 विश्वा ग्राम मांगरोल के खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा 2408 रकवा 16 विश्वा ग्राम मांगरोल तहसील धौलपुर पर खातेदार अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत मांगरोल में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner